भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **4718** जिसका उत्तर
शुक्रवार, 28 मार्च, 2025/7 चैत्र, 1947 (शक) को दिया जाना है

मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क

†4718. श्री के. सी. वेणुगोपाल :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतमाला के चरण I और II के अंतर्गत "बंदरगाह शहरों" में स्थापित किए जा रहे मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों (एमएमएलपी) की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) इन एमएमएलपी की स्थापना के लिए राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की जा रही है;

(ग) इन एमएमएलपी द्वारा मौजूदा बंदरगाहों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन्हें संचालित करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति का उपयोग किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) और (ख): सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारतमाला परियोजना के अंतर्गत छह: मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों (एमएमएलपी) का विकास निम्नलिखित "पत्तन शहरों" में किया जाना है:-

क्र. सं.	**पत्तन शहर**	**राज्य**
1	चैन्ने	तमिलनाडु
2	मुंबई	महाराष्ट्र
3	कोलकाता	पश्चिम बंगाल
4	कोच्ची	केरल
5	विशाखापट्टनम	आंध्र प्रदेश
6	कांडला	गुजरात

एमएमएलपी चैन्ने के विकास के लिए कुल अथॉरिटी लागत 641.92 करोड़ रु. है। शेष पांच एमएमएलपी के लिए कोई निधि निर्धारित नहीं की गई है क्योंकि विभिन्न चरणों में उनका अध्ययन चल रहा है। एमएमएलपी के लिए कोई भी चरण- ।। विकास नहीं है।

(ग): एमएमएलपी को विशेषरूप से परिवहन के विभिन्न साधनों को एकीकृत करते हुए, लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) प्रबंधन की दक्षता बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये एमएमएलपी पत्तन प्रचालन को अनुकूलित करने और मौजूदा पत्तनों के लिए समग्र लॉजिस्टिक्स ढांचे में सुधार करने के लिए कई तरह की सेवाएँ प्रदान करते हैं जैसे:-

- वेयरहाउसिंग और भंडारण समाधान
- परिवहन और माल ढुलाई
- सीमा शुल्क और विनियामक सेवाएँ
- मूल्य वर्धित सेवाएँ
- अवसंरचना और संपर्कता
- पर्यावरण संधारणीयता सेवाएँ
- सुरक्षा

(घ) और (ङ): सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की नीति के अनुसार, एमएमएलपी को भारतमाला परियोजना के तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में विकसित किया जाना है, जिसमें 45 वर्ष की रियायत अवधि होगी।

****